न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– अनीता मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 9 / 2021 (डूंगरपुर डिक्री)

1. रूपचन्द पिता कालुराम जी भगोरा मीणा, निवासी सीलमवाड़ा (रतनपुरा), तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. जावदजी पिता जगजी कलाल, नि0 सीमलवाड़ा, तह0 सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान का. अ.1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी सीमलवाड़ा, दिनांक 25.10.2016 एवं 18.03.2021 प्रकरण संख्या 154 / 16

———/———

उपस्थित(वक्तबहस)
1. श्री ए. मंसूरी अभिभाषक अपीलान्ट
2. नरेश जोशी अभिभाषक रेस्पो. सं. 1
2. श्री पैरोकार सरकार रेस्पो. संख्या 2

———:::———

निर्णय **दिनांक 12–10–2022**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 92ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी एक ही गांव के निवासी होकर वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी नंबर 2340 / 1888 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि मौजा सीमलवाड़ा में स्थित है। पूर्व में प्रतिवादी ने वादी की जमीन का सौदा करना तय हुआ था, लेकिन प्रतिवादी द्वारा सौदे की पालना नहीं किये जाने से सौदा निरस्त हो चुका है, फिर भी प्रतिवादी मौके पर विवाद करते हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11–02–2016 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिस पर प्रतिवादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 18–03–2021 को खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 27–06–2021 को प्रस्तुत की गयी है।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मूलवाद एक्स पार्टी डिक्री होने से अपीलान्ट द्वारा आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 18–03–2021 को खारिज कर दिया, जिसकी मियाद दिनांक 25–05–2021 तक रहती है, लेकिन कोविड के कारण अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः विलम्ब कण्डोन किया जाकर अपील अन्दर मयाद मानी जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन पर पत्रावली का मनन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्याय हित में मियाद कण्डोन की जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.09 13:38:13 IST
Reason: SelfAttested

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री नरेश जोशी उपस्थित हुए, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि रेस्पोन्डेन्ट/वादी ने अपीलान्ट/प्रतिवादी की गलत व्यक्ति पर तामिल करवाकर न्यायालय को भ्रम में रखकर एकपक्षीय वाद डिक्री करवा लिया, जिससे अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हो सका। अपीलान्ट ने प्रकरण को दोतरफा करने हेतु आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री व आदेश 9 नियम 13 जा.दी में पारित निर्णय दिनांक 18–03–2021 निरस्त किये जावे तथा अपीलान्ट/प्रतिवादी को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देने हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 25–1–2016 तथा आदेश 9 नियम 13 जा.दी. में पारित अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 18–03–2021 को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रदर्श 1 जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 में विवादित आराजी नंबर 2340/1888 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा वादी/रेस्पोन्डेन्ट के खातेदारी में अंकित है। हालांकि अधिनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय निर्णय पारित किया है, किन्तु राजस्व रेकार्ड अनुसार निर्णय पारित किया है। जहां तक आदेश 9 नियम 13 जा.दी. के निर्णय दिनांक 18–03–2021 का प्रश्न है, उसका निर्णय करते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने स्पष्ट अंकित किया है कि प्रतिवादी/प्रार्थी की पत्नी को दिनांक 14–06–2016 को तामिल हो चुकी है, इसके बावजूद भी प्रतिवादी नियत पेशी दिनांक 30–06–2016 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, न ही उनकी ओर से पैरवी हेतु कोई वकालतनामा पेश हुआ है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने अपने एकपक्षीय निर्णय उचित मानते हुए अपीलान्ट/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत है। हमारे सम्मुख अपीलान्ट ने जो दस्तोवज प्रस्तुत किये हैं, वह विक्रय इकरार से सम्बन्धि दस्तावेज हैं, जिसके लिए अपीलान्ट सिविल न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। राजस्व न्यायालय को विक्रय इकरार के आधार पर श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25–10–2016 एवं आदेश 9 नियम 13 जा.दी. में पारित निर्णय दिनांक 18–03–2021 यथावत रखें जाते हैं। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 12–10–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.09 13:38:13 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **अनीता मीना, आर॰ए॰एस॰** .....

रूपचन्द पिता कालूराम भगोरा मीणा, नि. सीमलवाड़ा (रतनपुरा) तह0 सीमलवाड़ा बनाम **जावदजी पिता जगजी कलाल, नि. सीमलवाड़ा, तह. सीमलवाड़ा व अन्य**

अपील नं॰.....**9/2021**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**सीमलवाड़ा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**26**.....माह.....**10**.....**2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**12**....माह.....**10**.....सन् **2022** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री ए. मंसूरी**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री नरेश जोशी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25–10–2016 एवं आदेश 9 नियम 13 जा.दी. में पारित निर्णय दिनांक 18–03–2021 यथावत रखें जाते हैं।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**12**.....माह.....**10**.....**2022** को जारी किया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.09 13:38:13 IST
Reason: SelfAttested